


फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक
 देवी देवी वंगर वनाम उपखण्ड अधिकारी टोंक
 करम मुकदमा B.P.L. श्रीवीर नं. 1 तारीख 2019
 अपील

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियतस जज	नम्बर व तारीख गहनगम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12 12 19	अपील अपीलान्त उप० अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। उपखण्ड अधि- लोक के अपीलान्धीन आदेश की पत्रावली तलब की जाकर दिनांक 26-12-2019 को पेश है। जिला कलेक्टर टोंक	
26 12 19	पत्रावली पेश हुई अपीलान्त उपस्थित है। उपखण्ड अधिकारी टोंक के सिविल प्रॉपर मदी हुई है। सिविल तलब कर पत्रावली दिनांक 22-1-20 को पेश है। जिला कलेक्टर टोंक	29/12/19 श्रीमान पत्रावली कलगत है।
22 1 2020	पत्रावली पेश हुई अपीलान्त उपस्थित है। सिविल प्रॉपर है गई है। वान्ते वचन पत्रावली दिनांक 26-2-2020 को पेश है। जिला कलेक्टर टोंक	
26 2 2020	पत्रावली पेश हुई अपीलान्त उपस्थित है। P.O. सहायक अन्त रजिस्ट्रार के उपखण्ड है। वान्ते वचन पत्रावली दि 23-3-2020 को पेश है। जिला कलेक्टर टोंक	

12 ¹⁰/₁₂

दिनांक 23-3-2020 को कोविड-19 वायरस संक्रमण के कारण लोक डाउन होकर अनाज की वारीज पेशी नियत क्रम में जाने पर पर्याप्त अनाज पेशा हुई। जिला अनाज कार्यालय सचिव द्वारा-मासिक कार्य पत्र स्वीकृत रखा गया। वास्तव में पर्याप्त अनाज दिनांक 23-11-2020 को पेशा हुआ।

जिला कलेक्टर
टांक

23 ¹¹/₂₂

पर्याप्त अनाज पेशा हुई। अपीलान्त उपस्थित है। आज हम पर्याप्त अनाज पेशा करके आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में पर्याप्त अनाज दिनांक 21-12-2020 को पेशा हुआ।

जिला कलेक्टर
टांक

21 ¹²/₂₂

पर्याप्त अनाज पेशा हुई। अपीलान्त उपस्थित है। वास्तव में पर्याप्त अनाज दिनांक 23 ¹²/₂₂ को पेशा हुआ।

जिला कलेक्टर
टांक

23 ¹²/₂₂

पर्याप्त अनाज पेशा हुई। अपीलान्त उपस्थित है। अपीलान्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। उपस्थित अधिकारी कोर्ट की पर्याप्त अनाज का अपीलान्त किया गया। उपस्थित अधिकारी कोर्ट द्वारा पर्याप्त अनाज उपस्थित करने के समय उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत पर्याप्त अनाज उपस्थित नहीं किया गया है। अपीलान्त उपस्थित की जाती है। अपीलान्त के कोर्ट में सुनवाई का अनाज कोर्ट का अनाज वी.वी.इल. कोर्ट 2003 में कोर्ट के आदेश दिए जाते हैं। पर्याप्त अनाज उपस्थित होकर आज पर्याप्त अनाज उपस्थित है।

जिला कलेक्टर
टांक